

झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक— 24.02.03

संख्या—पर्या0 प्रदू0—43/2000— 1031

द0प0, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण

अधि0 1974 की धारा—28 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधि0 1981 की धारा—831 के अंतर्गत में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते दुये एक अपीलीय प्राधिकार, जो कि कमशः जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधि0—1974 की धारा—25,26 एवं 27 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधि0—1981 की धारा—21 के अंतर्गत राज्य पर्षद द्वारा पारित आदेशों से असंतुष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के अपीलों की सुनवाई करेगी, का निम्नवत गठन किया जाता है:—

1	सदस्य राजस्व पर्षद, झारखण्ड सरकार, राँची—	अध्यक्ष
2	सचिव, वन एवं पर्यावरण विभागा, झारखण्ड, राँची—	सदस्य
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची—	सदस्य

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/— विनोद शंकर लाल,

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—पर्या0 प्रदू0—43/2000—1031

व0प0, राँची, दिनांक—24.02.03

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र क असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/—

विनोद शंकर लाल

सरकार के उप सचिव।

अनुज/24.02.03

ज्ञापांक— पर्या0प्रदू0—43/2000— 1031

व0प0,राँची, दिनांक—24.02.03

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, सरकार राँची/सदस्य सचिव, राजस्व पर्षद झारखण्ड सरकार,राँची/प्रधान मुख्य वन सुरक्षक , झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद/राँची/हजारीबाग/देवघर एवं जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

विनोद शंकर लाल

सरकार के उप सचिव।